

83/24

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू कैम्प राडोली

क्रमांक: राजस्व / 2021 /

दिनांक : / / 2021

आदेश

आवेदक श्री 21 मधु 3410 मीणा ने तहसील कोटखावदा में ग्राम 7-2 लालपुर स्थित आराजी ख.न. 71 रकबा 0.14 के संबंध में जमाबन्दी सम्बत् 2074-2077 के खाता संख्या 5 पर अंकित प्रविष्टि दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा जाँच की जाकर ग्राम 7-2 लालपुर की जमाबन्दी के खाता संख्या 5 की प्रविष्टि के स्थान पर रामपाल 50 मौरिलाल मीणा किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अभिशंषा की है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी हल्का कोहला (राडोली) की रिपोर्ट व तहसीलदार कोटखावदा की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी श्री रामपाल पुत्र श्री रामपाल जाति मीणा निवासी कोहला तहसील कोटखावदा के आवेदन पर जमाबन्दी सम्बत् 2074-77 के खाता संख्या 5 में अंकित प्रविष्टि रामपाल के स्थान पर रामपाल 50 मौरिलाल मीणा किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

शिविर प्रभारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)  
दिनांक : / / 2021

क्रमांक: राजस्व / 2021 /

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है-

- 1. तहसीलदार कोटखावदा
- 2. पटवारी हल्का राडोली

शिविर प्रभारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू उपखण्ड अधिकारी